प्रकरण संख्या 06/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम मगनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 110 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डोली तहसील सागवाडा में खाता संख्या 182 के खेत नंबर 15 की आराजी नंबर 2291 से 2304 कुल किता 14 स्थित है, जिसे रहन से मुक्त करने नाथजी पिता गौतमजी जगोत पटेल निवासी पाडवा ने कचरूलाल पिता पदमजी जैन, मोहनलाल पिता कचरूजी जैन, निवासी बनकोडा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर में प्रकरण संख्या 10/67 दर्ज कराया था, जिसमें दिनांक 01.10.1971 को निर्णय होकर वादी के पक्ष में डिक्री जारी कर कब्जा वादी को दिलाने का आदेश दिया गया। इस निर्णय की पालना में ईजराय नंबर 7/71 में दिनांक 28.10.1971 को वादी का कब्जा सिपुर्द किया गया। प्रकरण संख्या 10/67 दिनांक 01.10.1971 के निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो रिमाण्ड हुई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सागवाडा ने पुनः दिनांक 14.01.1994 को वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया, जिसकी प्रतिवादी द्वारा पुनः राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसके प्रकरण संख्या 20/1995 होकर दिनांक 24.12.1996 को अपील निरस्त कर दी गयी, जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जिसकी अपील संख्या 79/97 होकर दिनांक 10.05.2002 को अपील खारिज कर दी तथा इसका बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2003 को निरस्त हुआ। उक्त भूमि नाथजी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1966 से क्रय की जो रहन होने के कारण उक्त प्रकरण चले तथा वादी के हक में निर्णय पारित हुए, किन्तु वादी का नाम आज तक अंकित नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादीगण नाथजी के उत्तराधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:51 IST
Reason: SelfAttested

हैं तथा प्रतिवादीगण कचरूलाल के उत्तराधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर खाता संख्या 182 के खेत नंबर 14 की आराजी नंबर 2291 से 2304 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियां कायम की तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27.02.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अपील मीमों एवं रेस्पोन्डेन्ट की लिखित बहस पर मनन किया गया।

अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोहनलाल के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट मृतक मोहनलाल का पुत्र होने से उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का पुत्र है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति मोहनलाल के विरूद्ध डिक्री जारी की है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 देवेन्द्र कुमार मोहनलाल के विधिक वारिस हैं, देवेन्द्र कुमार के अपीलान्ट नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:51 IST
Reason: SelfAttested

बनने के कारण उसे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 के रूप में संयोजित किया गया है। अपीलान्ट के पिता का दौराने वाद दिनांक 05.06.2009 को ही निधन हो गया था, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण की ओर से मोहनलाल के वारिसान की नामकायमी नहीं करायी गयी, जिससे वादीगण का वाद अबेट हो चुका था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया तथा मृत व्यक्ति के वारिसान को बिना कायम मुकाम बनाये डिक्री जारी कर दी, जो अवैध एवं शून्य होकर कानून के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा जिस निर्णय व डिक्री का उल्लेख किया गया है, वह किसी अन्य खाता संख्या 159 के संबंध में था, ऐसी स्थिति में जब कब्जा ही वादीगण व उनके पूर्व हितधारी को कभी प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उनके द्वारा गलत कथनों के आधार पर पुनः नया वाद प्रस्तुत कर दिया गया, जो रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पिता के समय से रहन चली आ रही है, जिस पर कब्जा अपीलान्ट व उसके भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 का अपने पिता के समय से चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में भी भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 14 के नाम दर्ज चली आ रही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि पूर्व वाद नाथजी द्वारा रहन मुक्त कर कब्जा प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया था तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था, परन्तु राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाने का किसी प्रकार का आदेश नहीं होने के कारण उक्त वाद प्रस्तुत किया गया, जो रेसज्यूडीकेटा की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी नंबर 1 के विस्तृत निर्णय में यह अंकित किया है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:51 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पक्ष में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.05.2002 को खारिज की जा चुकी है तथा इसका बाजदायरी प्रार्थना पत्र भी दिनांक 22.01.2003 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार प्रकरण के विवाद का अंतिम निर्णय हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 19/67 तथा प्रकरण संख्या 225/86 में पारित निर्णय पर भूमि पर दिनांक 28.10.1971 से अब तक निरन्तर बेरोकटोक कब्जा वादीगण का बना हुआ है, जिससे करीब 47 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का विवेचन वादीगण के पक्ष में किया किया है तथा तनकी नंबर 2 व 3 जिन्हें साबिक कराने का भार प्रतिवादीगण पर था, उनका विवेचन करते हुए प्रकरण में पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद में वाद करण अलग होना मानकर रेसज्यूटीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होना मानते हुए उक्त दोनों तनकियां प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की हैं एवं उक्त आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए उन्हें विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 35/2014 दिनांक 27.02.2019 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:51 IST
Reason: SelfAttested